दिल्ली यातायात पुलिस

दिनांक **: 25.08.2023**

यातायात निर्देशिका

भारत को 09 और 10 सितंबर, 2023 को **भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली** में **अठ्ठारवें जी– 20 शिखर सम्मेलन** की मेजबानी करने पर गर्व है। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों (HoS) / शासनाध्यक्षों (HoG) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। यह भारत के लिए अपने मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत, ढांचागत विकास और कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर होगा। हम सब भारतीयों को विदेशी मेहमानों के समक्ष भारतीय समाज के उच्चतम आदर्श "**वसुधैव कुटुंबकम**" की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए और शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के हित में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर), विशेषकर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत नियम लागू होंगे। दिल्ली यातायात पुलिस का **समग्र उद्देश्य, परिवहन के विभिन्न साधनों को परेशानी मुक्त आवाजाही और आम जनता के लिए बिना किसी परेशानी के आवाजाही की सुनिश्चित सुविधा प्रदान करना है । सभी आवश्यक सेवाओं को बाधा रहित आवाजाही और उनके गंतव्य तक पहुँचने का रास्ता प्रदान किया जायेगा । चिकित्सा आपातकालीन वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी ।** वैकल्पिक मार्गों और परिवहन साधनों के माध्यम से आम जनता की आवाजाही को भी सुगम बनाया जाएगा।

यातायात के नियम

नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों/सड़क विस्तारों पर वाहनों की आवाजाही को निम्नानुसार नियंत्रित किया जाएगा:–

i. दिल्ली के गैर– गंतव्य वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा । इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है |

ii. भारी माल वाहन (HGV), मध्यम माल वाहन (MGV) और हल्के माल वाहन (LGV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी । हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एन्ट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

iii. अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । ऐसी सभी बसों का समापन गंतव्य रिंग रोड पर ही रहेगा ।

iv. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें, रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

v. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।

vi. टी.एस.आर. (ऑटो) और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

vii. हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। हालाँकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें और अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय से चलें।

viii. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

ix. स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने– जाने के लिए सुविधा प्रदत्त की जायगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

x. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH– 48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। NH– 48 पर धौला कुआँ की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

xi. दिनांक **07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि को 0000 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे** तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डी.आई.एम.टी.एस) बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xii. **नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र** को दिनांक **08.09.2023 के 0500 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे** तक **"नियंत्रित क्षेत्र– I"** माना जाएगा। हालांकि, स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सडकों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

xiii. **रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग)** के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक **08.09.2023 के 0500 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे** तक **"विनियमित क्षेत्र"** माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों

की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।

xiv. इसके अलावा निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को दिनांक **09 और 10.09.2023 की मध्यरात्रि को 0000 बजे से 10.09.2023 को 1400 बजे** तक **"नियंत्रित क्षेत्र– II"** माना जाएगा:–

'डब्लू'– प्वाइंट, 'ए'– प्वाइंट, डी.डी.यू. मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड– पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक से) चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बी.एस.जेड. मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा– टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे टी– प्वाइंट से) कश्मीरी गेट तक), आई.पी. फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।

XV. दिनांक 10.09.2023 को प्रातः 0500 बजे से दोपहर 1300 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र -II में यातायात विनियमों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थानों के लिए सीमित पहुंच होगी:

a. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से,
b. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी (SPM) रोड की ओर से,
c. शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से,
d. आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से,
e. राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से
f. गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से

आपातकालीन चिकित्सा वाहन

दिल्ली यातायात पुलिस यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह सुनिश्चित करने के इरादे से कि प्रत्येक बहुमूल्य मानव जीवन बचाया जाए, एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा दिनांक 07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि को 0000 बजे से 11.09.2023 को 2359 बजे तक **6828400604/112 (ERSS)** नंबर पर चालू रहेगी। यातायात पुलिस कर्मी केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा (CATS), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DHS), प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। । इसके अलावा, शहर भर के प्रमुख जंक्शनों पर चिकित्सा आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे। चिकित्सा सेवाओं के लिए अलग यातायात निर्देशिका को https://traffic.delhipolice.gov.in/DTPG20 info पर विस्तृत रूप से देखा जा सकता है।

सुझाए गए मार्ग

यात्रियों से अनुरोध है कि वे विनियमित और नियंत्रित क्षेत्रों में आने वाले स्थानों की यात्रा से बचें। हालाँकि, यदि यात्रा अपरिहार्य है, तो सड़क उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है :

उत्तर– दक्षिण कोरिडोर

- रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे – नोएडा लिंक रोड – पुस्ता रोड – युधिष्टिर सेतु – आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट – रिंग रोड – मजनू का टीला
- एम्स चौक से – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर – राजौरी गार्डन जंक्शन – रिंग रोड – पंजाबी बाग जंक्शन – रिंग रोड – आजाद पुर चौक

पूर्व– पश्चिम कोरिडोर

- सन डायल/डी.एन.डी फ्लाईओवर से – रिंग रोड – आश्रम चौक – मूलचंद अंडरपास – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर
- युधिष्टिर सेतु से – रिंग रोड – चंदगी राम अखाड़ा – माल रोड – आज़ाद पुर चौक – रिंग रोड – लाला जगत नारायण मार्ग

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सड़क यात्रा दिनांक 10.09.2023 को प्रातः 0500 बजे से 1300 बजे दिन तक प्रभावित रहेगी। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि वे मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और सड़क यात्रा के मामले में निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है:

- **दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से:–**

धौला कुआं – रिंग रोड – नारायणा फ्लाईओवर – मायापुरी चौक – कीर्ति नगर मेन रोड – शादीपुर फ्लाईओवर – पटेल रोड (मुख्य मथुरा मार्ग) – पूसा गोल चक्कर – पूसा रोड – दयाल चौक – पंचकुइयां रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस – चेम्सफोर्ड रोड पहाड़गंज साइड या मिंटो रोड– अजमेरी गेट साइड के लिए भवभूति मार्ग और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

- **उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से:–**

युधिष्टिर सेतु – बुलेवार्ड रोड – रानी झाँसी फ्लाईओवर – झंडेवालान गोल चक्कर – डी.बी. गुप्ता रोड – शीला सिनेमा रोड – पहाड़गंज ब्रिज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुख़र्जी (SPM) मार्ग की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सड़क यात्रा दिनांक 10.09.2023 को प्रातः 0500 बजे से 1300 बजे दिन तक प्रभावित रहेगी। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि वे मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और सड़क यात्रा के मामले में निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है:

- **<u>दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से:–</u>**

  रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे – नोएडा लिंक रोड – पुस्ता रोड – युधिष्टिर सेतु – आईएसबीटी कश्मीरी गेट – लोथियन रोड – छत्ता रेल – एस.पी. मुखर्जी मार्ग – कौड़िया पुल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

- **<u>पश्चिम और उत्तरी दिल्ली से:–</u>**

  पंजाबी बाग जंक्शन – रोहतक रोड – रानी झाँसी फ्लाईओवर – लोथियन रोड – छत्ता रेल – कौड़िया पुल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचें।

<u>हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए</u>

यात्रियों से अनुरोध है कि वे मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और सड़क यात्रा के मामले में निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है:

- **<u>दक्षिण दिल्ली से:</u>**

  धौला कुआं फ्लाईओवर – रिंग रोड – एम्स चौक – बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु – लाला लाजपत राय मार्ग की ओर स्लिप रोड – लोधी रोड – नीला गुम्बद – हजरत निजामुद्दीन मार्ग – निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

- **<u>पूर्वी दिल्ली से:</u>**

  नोएडा लिंक रोड – दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे – महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) – निजामुद्दीन एंट्री – II रोड से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचे।

- **<u>पश्चिम दिल्ली से:</u>**

  पंजाबी बाग जंक्शन – महात्मा गांधी रोड (रिंग रोड) – राजा गार्डन चौक – नारायणा फ्लाईओवर – धौला कुआं फ्लाईओवर – रिंग रोड – एम्स चौक – बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु – लाला लाजपत राय मार्ग की ओर स्लिप रोड – लोधी रोड – नीला गुम्बद – हजरत निजामुद्दीन मार्ग – निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्टेशन तक पहुंचें।

- **<u>उत्तरी दिल्ली से:</u>**

  मुकरबा चौक – डॉ. के.बी. हेडगेवार मार्ग (आउटर रिंग रोड) – मजनू का टीला – चंदगी राम अखाड़ा – रिंग रोड से युधिष्ठिर सेतु की ओर बायाँ लूप – जीटी रोड – शात्री पार्क – पुस्ता रोड / नोएडा लिंक रोड – दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे – महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) – निजामुद्दीन एंट्री – II रोड से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के लिए

यात्रियों से अनुरोध है कि वे मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और सड़क यात्रा के मामले में निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है:

- **दक्षिण दिल्ली से:**
  धौला कुआं फ्लाईओवर – वंदे मातरम मार्ग – दयाल चौक – फैज रोड – न्यू रोहतक रोड – लिबर्टी सिनेमा – नवहिंद स्कूल मार्ग – सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन रोड से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन तक पहुँचें।

- **पूर्वी दिल्ली से:**
  नोएडा लिंक रोड/पुस्ता रोड – शास्त्री पार्क – जीटी रोड – युधिष्ठिर सेतु– जीटी करनाल रोड– रानी झांसी फ्लाईओवर के नीचे – राम बाग मार्ग– वीर बंदा बैरागी मार्ग– ओल्ड रोहतक रोड– सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन रोड से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन तक पहुँचें।

- **पश्चिम दिल्ली से:**
  पंजाबी बाग जंक्शन – रोहतक रोड – न्यू रोहतक रोड – सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन रोड से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन तक पहुँचें।

- **उत्तरी दिल्ली से:**
  आजादपुर चौक – रिंग रोड – प्रेम बाड़ी पुल – महाराजा नाहर सिंह मार्ग – इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन – वीर बंदा बैरागी मार्ग – ओल्ड रोहतक रोड – सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन रोड से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन तक पहुँचें।

हवाई अड्डे के लिए

मेट्रो सेवाओं के माध्यम से:

यातायात नियमों के मद्देनजर, मोटर चालकों को यात्रा में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इसलिए, यात्रियों से अनुरोध है कि वे पर्याप्त समय के साथ यात्रा की योजना बनाएं और **मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें**, विशेष रूप से नई दिल्ली स्टेशन को इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे T-3 के माध्यम से द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन से जोड़ने वाली **एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन** (ऑरेंज लाइन) का उपयोग करें।

इसके अलावा, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से यात्रा करने वाले यात्री हवाई अड्डे के लिए निम्नलिखित मेट्रो सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है:

- **द्वारका से T-3 तक:**

  ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक

- **नई दिल्ली से T-3 तक:**

  नई दिल्ली स्टेशन तक येलो लाइन और आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन

  या

  शिवाजी स्टेडियम से आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक ऑरेंज लाइन

- **दक्षिणी दिल्ली से T-3 तक:**

  पिंक लाइन धौला कुआं स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक

  या

  मजेंटा लाइन हौजखास स्टेशन तक, येलो लाइन दिल्ली हाट-आई.एन.ए. स्टेशन तक, पिंक लाइन दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक

- **पश्चिमी दिल्ली से T-3 तक:**

  राजौरी गार्डन स्टेशन तक ब्लू लाइन, दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस स्टेशन तक पिंक लाइन और आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन

- **उत्तरी दिल्ली से T-3 तक:**

  रेड लाइन कश्मीरी गेट स्टेशन तक, येलो लाइन नई दिल्ली स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक

- **पूर्वी दिल्ली से T-3 तक:**

  पिंक लाइन वेलकम स्टेशन तक, रेड लाइन कश्मीरी गेट स्टेशन तक, येलो लाइन नई दिल्ली स्टेशन तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आईजीआई एयरपोर्ट T-3 तक

सड़क के माध्यम से:

यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर सड़क यात्रा दिनांक 07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि 0000 बजे से दिनांक 10.09.2023 को रात्रि 2359 बजे तक प्रभावित होगी।

यदि हवाई अड्डे जाने वाले यात्री सड़क यात्रा का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित मार्गों को अपनाने के लिए पर्याप्त समय रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं:

- **गुरूग्राम से टर्मिनल– 3 तक:**

  NH– 48 – राव गजराज सिंह मार्ग – पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड – UER– II –NH – 48 (सर्विस रोड) – T-3 टर्मिनल रोड

- **गुरूग्राम से टर्मिनल– 1 तक:**

  NH– 48 – राव गजराज सिंह मार्ग – पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड – UER– II –NH – 48 (सर्विस रोड) – T-3 टर्मिनल रोड – NH - 48 (सर्विस रोड) – संजय टी - प्वाइंट – उलान बटार मार्ग – टर्मिनल -1

- **द्वारका से टर्मिनल - 3 तक:**

  सेक्टर 22 द्वारका रोड – UER– II – NH – 48 (सर्विस रोड) – T- 3 टर्मिनल रोड

- **द्वारका से टर्मिनल - 1 तक:**

  सेक्टर 22 द्वारका रोड – UER-II – NH – 48 (सर्विस रोड) – T- 3 टर्मिनल रोड – एनएच - 48 (सर्विस रोड) – संजय टी - प्वाइंट – उलान बटार मार्ग – टर्मिनल - 1

- **नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से टर्मिनल - 3 तक:**

  एम्स चौक – रिंग रोड – मोती बाग चौक – आरटीआर मार्ग – संजय टी - प्वाइंट – एनएच – 48 (सर्विस रोड) – T - 3 टर्मिनल रोड

- **नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से टर्मिनल - 1 तक:**

  एम्स चौक – रिंग रोड – मोती बाग चौक – RTR मार्ग – संजय टी - प्वाइंट – उलान बटार मार्ग – टर्मिनल - 1

- **पश्चिमी दिल्ली से टर्मिनल - 3 तक:**

  पंजाबी बाग चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – राजा गार्डन चौक – नजफ़गढ़ रोड़ – पंखा रोड़ – डाबडी - द्वारका रोड़ – रोड़ संख्या 224 – डाबडी - गुरुग्राम रोड़ – सेक्टर - 22 द्वारका रोड़ – UER - II – NH – 48 (सर्विस रोड़) – T-3 टर्मिनल रोड

- **पश्चिमी दिल्ली से टर्मिनल - 1 तक:**

  पंजाबी बाग चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – राजा गार्डन चौक – नजफ़गढ़ रोड़ – पंखा रोड़ – डाबडी - द्वारका रोड़ – रोड़ संख्या 224 – डाबडी - गुरुग्राम रोड़ – सेक्टर - 22 द्वारका रोड़ – UER - II – NH – 48 (सर्विस रोड़) – T-3 टर्मिनल रोड – उलान बटार मार्ग – टर्मिनल -1

- **उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से टर्मिनल - 3 तक:**

  आईएसबीटी कश्मीरी गेट – रानी झांसी फ्लाइओवर – रोहतक रोड़ – पंजाबी बाग चौक – रिंग रोड – राजा गार्डन चौक – नजफ़गढ़ रोड़ – पंखा रोड़ – डाबडी - द्वारका रोड़ – रोड़ संख्या 224 – डाबडी - गुरुग्राम रोड़ – सेक्टर - 22 द्वारका रोड़ – UER-II – NH – 48 (सर्विस रोड़) – T-3 टर्मिनल रोड

- **उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से टर्मिनल - 1 तक:**

  आईएसबीटी कश्मीरी गेट – रानी झांसी फ्लाइओवर – रोहतक रोड़ – पंजाबी बाग चौक – रिंग रोड – राजा गार्डन चौक – नजफ़गढ़ रोड़ – पंखा रोड़ – डाबडी - द्वारका रोड़ – रोड़ संख्या 224 – डाबडी - गुरुग्राम रोड़ – सेक्टर - 22 द्वारका रोड़ –UER - II – NH – 48 (सर्विस रोड़) – T-3 टर्मिनल रोड – उलान बटार मार्ग – टर्मिनल - 1

सिटी बस सेवाएँ :

सिटी बसें दिल्ली की रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर रोड नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी। हालांकि, नई दिल्ली क्षेत्र में सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

बस समाप्ति बिंदु

सिटी बस सेवाओं की आवाजाही निम्नलिखित बिंदुओं पर कम की जाएगी:

1.	आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट	6.	आई.एस.बी.टी सराय काले खां
2.	आश्रम चौक	7.	मूलचंद फ्लाईओवर
3.	विवेकानन्द मार्ग (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय)	8.	एम्स
4.	आर.टी.आर फ्लाईओवर के नीचे	9.	मायापुरी चौक
5.	पंजाबी बाग चौक	10.	आजादपुर चौक

अंतरराज्यीय बसें

अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी और उनका समापन गंतव्य रिंग रोड पर होगा।

क्र.सं.	स्थानों से आती हुई बसें	समाप्ति बिंदु
1.	गाजीपुर बॉर्डर	आई.एस.बी.टी सराय काले खां
2.	अप्सरा बॉर्डर	आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट
3.	चिल्ला बॉर्डर	आई.एस.बी.टी सराय काले खां
4.	बदरपुर बॉर्डर	आश्रम चौक

5.	टीकरी बॉर्डर	पीरागढ़ी चौक
6.	सिंघू बॉर्डर	मुकरबा चौक
7.	रजोकरी बॉर्डर (NH– 48) से किसी भी बस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी	

मेट्रो सेवाएँ

सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध रहेगी। हालाँकि, **सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन** पर दिनांक **09.09.2023 को सुबह 05:00 बजे से 10.09.2023 को रात 11:00 बजे तक** मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

भारी / मध्यम / हल्के माल वाहन :

दिनांक **07.09.2023 को 2100 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे तक** किसी भी **भारी माल वाहन (HGV), मध्यम माल वाहन (MGV) और हल्के माल वाहन (LGV)** को दिल्ली की सीमाओं से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एन्ट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

दिल्ली में पहले से मौजूद भारी माल वाहन (HGV), मध्यम माल वाहन (MGV) और हल्के माल वाहन (LGV) को दिनांक 07.09.2023 को 2100 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे तक रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की बॉर्डर की तरफ के सड़क नेटवर्क पर प्रचलित प्रतिबंधित समय के अनुसार चलने की अनुमति दी जाएगी।

टी.एस.आर. (ऑटो) / टैक्सी

दिनांक 09.09.2023 को 0500 बजे से 10.09.2023 को 2359 बजे तक किसी भी टी.एस.आर. (ऑटो) और टैक्सी को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

आम जनता के लिए निर्देश:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम, बोर्ड, सांविधिक निकाय, शैक्षणिक संस्थान आदि दिनांक 08.09.2023 से 10.09.2023 तक बंद रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित सभी निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान दिनांक 08.09.2023 से 10.09.2023 तक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिनांक 08.09.2023 से 10.09.2023 तक बंद रहेंगे।

आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011– 25844444 के माध्यम से अद्यतन (अपडेट) रहें।

यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है और गौरवान्वित भारतीय नागरिकों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व है कि समस्त कार्यक्रम बनायी गयी योजना के अनुसार सुचारू रूप से चले। इसलिए अनुरोध है कि लोग मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और असुविधा से बचने के लिए अपने पास पर्याप्त समय रखें।

– – – xxx– – –